



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03022026-269808
CG-DL-E-03022026-269808

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 96]
No. 96]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 3, 2026/माघ 14, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 3, 2026/MAGHA 14, 1947

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 101(अ).— कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 (2015 का 11) की धारा 31 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए कुछ नियमों का निम्नलिखित मसौदा, जिसे केंद्रीय सरकार बनाने का प्रस्ताव रखती है, को उक्त धारा के तहत अपेक्षित रूप से उन सभी व्यक्तियों को सूचित करने के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना है और इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर इन नियमों को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा;

ऊपर निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हो, तो उन्हें अनुभाग अधिकारी (पीएंडएस-II अनुभाग), कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा सं. 514/2-डी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001 को भेजा जा सकता है या soca3.moc@nic.in पर ईमेल किया जा सकता है।

मसौदा नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।** (1) इन नियमों को कोयला खान (विशेष उपबंध) (प्रथम संशोधन) नियम, 2026 कहा जा सकता है।
(2) वे आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. कोयला खान (विशेष उपबंध) नियम, 2014 के तहत नियम 2 में, खंड (i) के बाद, निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा-
'(आईए) "निष्पादन बैंक गारंटी" से आश्रय बैंक गारंटी या बीमा जमानत बांड या इसी प्रकार की प्रकृति के किसी अन्य वित्तीय साधन से है और जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

[फा. सं. 54018/2/2015-सीए II]

रूपिंदर बरार, अपर सचिव

टिप्पण:- मूल नियमों को भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 883 (अ), दिनांक 11 दिसंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित किया गया था और संख्या सा.का.नि. 782 (अ) दिनांक 18 मार्च, 2015; सा.का.नि. 332 (अ), दिनांक 29 मई, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था तथा इसे पिछली बार संख्या सा.का.नि. 393 (अ) दिनांक 29 मई, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd February, 2026

G.S.R. 101(E).— The following draft of certain rules further to amend the Coal Mines (Special Provisions) Rules, 2014, which the Central Government proposes to make, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 31 of the Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015 (11 of 2015) is hereby published as required under the said section for informing all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these rules are made available to public;

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Section Officer (P&S-II section), Ministry of Coal, Government of India, Room No. 514/2-D, Shastri Bhawan, New Delhi 110001 or emailed at soca3.moc@nic.in.

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.** (1) These rules may be called the Coal Mines (Special Provisions) (First Amendment) Rules, 2026.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Coal Mines (Special Provisions) Rules, 2014, in rule 2, after clause (i), the following shall be inserted—
'(ia) "performance bank guarantee" means and includes a bank guarantee or an insurance surety bond or any other financial instrument of similar nature as may be specified by the Central Government'

[F. No. 54018/2/2015-CA II]

RUPINDER BRAR, Addl. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 883(E), dated the 11th December, 2014 and amended *vide* number G.S.R. 782(E) dated the 18th March, 2015; G.S.R. 332(E), dated the 29th May, 2020 and lastly amended *vide* number G.S.R. 393(E), dated the 29th May, 2023.